



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय देवली

पुराना अजमेर रोड, जयपुर चुंगी नाका के पास, सीआईएसएफ, देवली, जिला- टोंक (राजस्थान) - 304804

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DEOLI

Old Ajmer Road, Near Jaipur Chungi Naka, CISF, Deoli, Dist.- Tonk (Rajasthan) - 304804

Phone No. +91-1434-294979

E-mail: kvdeoli1984@gmail.com

CBSE Affiliation Number : 1700030

UDISE CODE: 08220518503

Website: <https://deolicisf.kvs.ac.in/>



एन एच एन एन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा. केविदे/A-11/2026-2027/

दिनांक: 23/04/2026

नीलामी सूचना

सभी को यह सूचित किया जाता है कि इस विद्यालय के पुराने फर्नीचर, संगीत उपकरण, कम्प्यूटर/IT उपकरण, CMP विभाग सामग्री, जो अनुपयोगी घोषित किये गये हैं, जहाँ और जैसी स्थिति में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से दिनांक 28.04.2026 को दोपहर 11:00 बजे विद्यालय परिसर में बेचा जाना प्रस्तावित है।


अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म विद्यालय परिसर में नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं का निरीक्षण दिनांक 28.04.2026 को प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक कर सकते हैं एवं नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली राशि तुरंत जमा करनी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामान को तुरंत अपनी लागत पर उठाना होगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

नीलामी के लिए नियम और शर्तें:

1. बोलीदाता को अपने व्यक्तिगत पहचान / फर्म का पहचान पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति नीलामी से पूर्व कार्यालय में जमा करवानी होगी।
2. कम्प्यूटर/IT उपकरण की बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म के पास E-Waste खरीद हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण समिति (RPCC) से जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है (पंजीकरण दस्तावेज नीलामी से पूर्व कार्यालय में जमा करवाने होंगे)।
3. बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म को बोली में भाग लेने से पहले ₹1000 की धरोहर राशि जमा करनी होगी जो नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी।
4. फर्म के प्रोपराइटर के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा बोली लगाने से पूर्व फर्म के लेटर हेड पर Authorization certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. समिति द्वारा स्वीकार्य उच्चतम बोली की राशि को मौके पर ही जमा करना होगा, जिसमें धरोहर/सुरक्षा राशि समायोजित कर दी जाएगी।
6. नीलामी की गई सामग्री बोलीदाता द्वारा भुगतान करने के तुरंत बाद खुद के खर्च पर उठानी होगी।
7. स्वीकृति के समय बोली की 100% राशि जमा कराने में विफलता के मामले में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
8. अन्य नियम और शर्तें यदि कोई है, समिति द्वारा नीलामी प्रारंभ होने से पहले ही घोषित कर दी जाएगी।
9. समिति बिना किसी कारण बताए, किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

वितरण:

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति
2. समस्त केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर संभाग
3. विद्यालय सूचना पट
4. विद्यालय वेबसाइट


23.04.2026
प्राचार्य

विद्यालय / प्रधानाचार्य
विद्यालय के नाम पर जारी किया गया है
जयपुर संभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन